

संक्षिप्त प्रारूप

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी कोरबा (छ.ग.)


Email ID-livelihood.korba@gmail.com

क्रमांक/DPLCS/EOI/2020 / 3812

कोरबा दिनांक 05/09/2020

// रुचि की अभिव्यक्ति //

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज कोरबा में प्रशिक्षण संचालन के लिए ट्रेनिंग पार्टनर/प्रशिक्षण प्रदाता के चयन हेतु "रुचि की अभिव्यक्ति" दिनांक 28/09/2020 सायं 02.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्रों में आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी हेतु जिले के वेबसाइट अथवा कार्यालय के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है।



नोडल अधिकारी (डिप्टी कलेक्टर)

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी
3 जिला-कोरबा (छ.ग.)

कार्यालय, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी कोरबा (छ.ग.)

// रुचि की अभिव्यक्ति //

आवेदन की अंतिम तिथि - 28/09/2020 समय सायं 03.00 बजे तक (3:00PM)

आवेदन पत्र खोलने की तिथि - 28/09/2020 समय सायं 04.00 बजे से (4:00PM)

क्रमांक / DPLCS / EOI / 2020 / 3813

कोरबा दिनांक 05/09/2020

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज कोरबा में मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत निम्न सेक्टर/व्यवसायों में प्रशिक्षण संचालन के लिए ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है -

क्र.	सेक्टर का नाम	रिमार्क
1	Tourism & Hospitality	छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं छ.ग. राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी रायपुर द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रशिक्षण प्रदाय किया जावेगा
2	Management and Entrepreneurship & Professional	
3	Retail	
4	Iron & Steel	
5	Capital Goods	
6	Furniture & Fittings	
7	Handicrafts & Carpets	
8	Healthcare	
9	Agriculture	
10	BFSI	
11	Domestic Workers	
12	Food Processing	
13	Automotive	
14	IT-ITeS	
15	Life Sciences	
16	Logistics	
17	Mining	
18	Paints and Coatings	
19	Power	
20	Textiles & Handlooms	
21	Plumbing	
22	Apparel Made-Ups & Home Furnishing	
23	Infrastructure Equipment	
24	Media & Entertainment	

2

रुचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने वाली संस्थाओं हेतु अर्हताएँ

1. संस्था संबंधित उक्त व्यवसाय/व्यवसायों में राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (CSSDA) रायपुर (छ.ग.) में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) के रूप में पंजीकृत हो।

या

2. ऐसे प्रशिक्षण संस्था/प्रतिष्ठान जो उक्त व्यवसायों में शिक्षण/प्रशिक्षण/व्यवसाय करते हो तथा छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कंपनीज एक्ट 1956/ट्रस्ट रजिस्टर्ड एंड इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत हो (संस्था का पंजीयन विज्ञप्ति प्रसारण के दिनांक से न्यूनतम 3 वर्ष का हो) एवं कौशल प्रशिक्षण प्रदाय करने का 3 वर्ष का अनुभव हो।


या

3. छ.ग. शासन/भारत सरकार के अधीन संचालित किसी कौशल विकास कार्यक्रमों का विगत 03 वर्षों से संचालन कर रहा हो।
4. संस्था के पास प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देने की क्षमता का होना अनिवार्य होगा।
5. संस्था को पूर्व में राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा Blacklist नहीं किया गया हो। (100 रु0 के स्टॉप में इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा)
6. संस्था को प्रति सेक्टर 10,000/- (दस हजार रुपये) की दर से सुरक्षा निधि बैंक ड्राफ्ट प्राचार्य जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी कोरबा के पक्ष में जमा करना अनिवार्य होगा।


सामान्य शर्तें एवं दायित्व

1. प्रमुख सचिव छ0ग0 शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर का पत्र क्रं./एफ 10-30/2019/कौ.वि./42 दिनांक 16.08.2019 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रशिक्षण संचालन किया जाना होगा।
2. चयनित संस्था को प्राचार्य जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी कोरबा से अनुबंध संपादित करना आवश्यक होगा, जो एक वर्ष के लिए होगा, जिसे आवश्यकतानुसार आगामी वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकेगा।
3. चयनित संस्था को प्रशिक्षण संचालन हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (MMKVY), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के संचालन एवं अन्य गतिविधियों द्वारा कौशल प्रशिक्षण देने हेतु तय मानकों के तहत एवं समय-समय पर जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज के प्रबंधन द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार ही प्रशिक्षण संचालित करना होगा। चयनित संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्य लाईवलीहुड कॉलेज प्रबंधन द्वारा आवश्यकतानुसार आबंटित किया जावेगा। आवश्यकता नहीं होने पर लाईवलीहुड कॉलेज प्रबंधन प्रशिक्षण कार्य संबंधितों को देने को बाध्य नहीं होगी।
4. प्रशिक्षणार्थियों के लिए Induction Kit (Uniform, ID CARD) एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक कच्चा सामग्री की व्यवस्था चयनित संस्था द्वारा ही किया जाएगा।
5. चयनित संस्था को अनिवार्य रूप से छ0ग0 राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के नियमानुसार प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना अनिवार्य होगा।
6. संस्था के पास सेक्टर अनुरूप राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मापदंडों के अनुरूप योग्यताधारी प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक उपकरण (लैब सेटअप ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा किए जाने की स्थिति में) अनिवार्यतः उपलब्ध हो।

3



- प्रशिक्षकों के बायोडाटा एवं उपकरणों की प्रमाणित सूची आवेदन के साथ निर्धारित प्रपत्र में संलग्न करना अनिवार्य होगा। TOT certified प्रशिक्षक नहीं होने की स्थिति में यदि ट्रेनिंग पार्टनर का चयन किया जाता है तो उस स्थिति में चयनित संस्था को प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व संबन्धित सेक्टर / कोर्स में प्रशिक्षक का TOT होना अनिवार्य होगा।
7. चयनित संस्था को जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज कोरबा द्वारा नियत समय सारणी के अनुसार ही प्रशिक्षण संचालन करना अनिवार्य होगा।
 8. चयनित संस्था को प्रशिक्षण प्रारम्भ से परीक्षा संपादन तक समस्त लिपिकीय कार्य, अनुशासन व्यवस्था, प्रशिक्षणार्थियों उपस्थिति, परिसर की साफ सफाई, सुरक्षा का दायित्व होगा।
 9. प्रशिक्षणार्थियों के मोबलाईजेशन तथा प्रशिक्षण उपरांत नियोजन की जिम्मेदारी चयनित संस्था की ही होगी।
 10. चयनित संस्था द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा किसी भी समय यह पाया जाता है कि प्रशिक्षण गुणवत्तायुक्त नहीं है तो अनुबंध समाप्त कर सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।
 11. चयनित संस्थाओं को छ0ग0 राज्य कौशल विकास प्राधिकरण की नवीन गाइडलाइन के परिशिष्ट अ की कण्डिका 13 अनुसार चयन उपरांत संस्थान से 50,000.00 की बैंक गारंटी अनुबंध की स्थिति में लिया जावेगा।
 12. प्रशिक्षण लागत दर का निर्धारण:— मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत प्रशिक्षण लागत छ0ग0 राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप भुगतान हेतु निर्धारित किया जाएगा।
 13. प्रशिक्षण राशि का विभाजन:— छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के पत्र क्रं./426/रापलाकासो/2017 रायपुर, दिनांक 15.11.2017 द्वारा लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी एवं ट्रेनिंग पार्टनर के मध्य प्रशिक्षण राशि के विभाजन के संबंध में क्रियान्वयन एवं अनुपालन हेतु जारी दिशा निर्देशानुसार:—
 (अ) लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा भवन की उपलब्धता की स्थिति में एवं ट्रेनिंग पार्टनर के द्वारा समस्त लैब सामग्री सेटअप व्यवस्था करने पर उत्तीर्ण हितग्राही के प्रशिक्षण शुल्क लागत राशि का 75 प्रतिशत ट्रेनिंग पार्टनर को एवं 25 प्रतिशत राशि लाईवलीहुड कॉलेज को देय होगा।
 (ब) लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा भवन एवं समस्त लैब सेटअप सामग्री की व्यवस्था करने पर उत्तीर्ण हितग्राही के प्रशिक्षण शुल्क राशि का 50 प्रतिशत लाईवलीहुड कॉलेज को एवं 50 प्रतिशत राशि ट्रेनिंग पार्टनर को देय होगा।
 14. लाईवलीहुड कॉलेज व ट्रेनिंग पार्टनर के मध्य विभाजन राशि के संबंध में राज्य कार्यालय द्वारा यदि विभाजन राशि नियम में परिवर्तन किया जाता है तो उस स्थिति में नियम के प्रभावी होने के दिनांक से या उसके बाद प्रारम्भ होने वाले समस्त प्रशिक्षणों में राशि का भुगतान नवीन नियम के अनुरूप किया जावेगा।
 15. चयनित संस्था को प्रशिक्षण राशि का भुगतान:— राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा जारी अद्यतन दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जावेगा।
 16. मूल्यांकन शुल्क का भुगतान:— MMKVY योजनांतर्गत मूल्यांकन शुल्क का भुगतान ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा किया जाएगा जो प्रशिक्षण शुल्क Claim के साथ दिया जाएगा एवं PMKVY योजनांतर्गत मूल्यांकन शुल्क का भुगतान लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा किया जाएगा।
 17. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कलेक्टर जिला कोरबा का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। निविदा प्रस्ताव निरस्त/लोकहित में उपर वर्णित शर्तों में परिवर्तन का अधिकार नोडल अधिकारी (डिप्टी कलेक्टर) जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, कोरबा को सुरक्षित है।




चैनल पार्टनर के चयन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण

1. चयन नियमों के आधार पर प्राप्त आवेदनों को पात्र/अपात्र ट्रेनिंग प्रदाताओं में सूचीबद्ध कर दिया जायेगा। तत्पश्चात चयन हेतु गठित विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा सभी पात्र आवेदनों का चयन मापदण्डों के आधार पर मूल्यांकन करके योग्य ट्रेनिंग पार्टनरों को सूचीबद्ध किया जायेगा। इस संबंध में संबंधित सेक्टर में ट्रेनिंग का अनुभव/ट्रेनिंग गुणवत्ता/नियोजन की जानकारी/प्रशिक्षकों की योग्यता आदि मापदण्डों को प्राथमिकता दी जावेगी।
2. पूर्व में कौशल प्रशिक्षण प्रदाय करने के अनुभव हेतु प्रपत्र-अ (I) की हस्ताक्षरित प्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
3. पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या हेतु प्रपत्र-अ (II) की हस्ताक्षरित प्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
4. हितग्राहियों की नियोजन हेतु रोजगार स्थिति की जानकारी प्रपत्र-अ (III) की हस्ताक्षरित प्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
5. आवेदित संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित सेक्टर के जॉब रोल /कोर्स हेतु प्रशिक्षित हितग्राहियों के शतप्रतिशत नियोजन हेतु Tie up किये गए कंपनी/संस्थान/फर्म/नियोक्ता की जानकारी प्रपत्र-अ (IV) के आधार पर हस्ताक्षरित प्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि संस्थाएं Tie up किये गए विभिन्न किये गये कंपनी/संस्थान/फर्म/नियोक्ता से अनुबंध (MOU) की प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी होगी।
6. आवेदित संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित सेक्टर के जॉब रोल /कोर्स हेतु प्रशिक्षित हितग्राहियों के आन जॉब ट्रेनिंग हेतु Tie up किये गए कंपनी/संस्थान/फर्म/नियोक्ता की जानकारी प्रपत्र-अ (V) के आधार पर हस्ताक्षरित प्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
7. चैनल पार्टनर के चयन **Score matrix** के आधार पर प्राप्तोंको से किया जावेगा।



आवेदन की प्रक्रिया

1. संस्थाएँ प्रत्येक सेक्टर हेतु पृथक-पृथक आवेदन करें। यदि एक लिफाफे में एक से अधिक सेक्टर हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो सबसे ऊपर लिखे हुए सेक्टर के लिए आवेदन मान्य किया जावेगा। आवेदन पत्र का परिशिष्ट अ एवं ब भरा जाना अनिवार्य है।
2. आवेदन निर्धारित प्रारूप में निर्धारित तिथि एवं समय तक स्वीकार किये जावेंगे। निर्धारित समय पश्चात प्राप्त आवेदन को अमान्य कर दिया जावेगा।
3. आवेदन लिफाफा के ऊपर सेक्टर का नाम एवं आवेदित संस्था का नाम एवं पूर्ण पता मोबाइल नंबर सहित अंकित किया जाना अनिवार्य है।
4. आवेदन पत्र निर्धारित प्रतिभूति राशि के बैंक ड्राफ्ट सहित लिफाफा में बंद कर दिया जाएगा।
5. आवेदन पत्र बंद लिफाफा में निर्धारित तिथि/समय तक कार्यालय प्राचार्य, लाईवलीहुड कॉलेज कोरबा, (छ.ग.) पिन कोड-495677 में जमा करना होगा। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार्य होंगे।

(कलेक्टर महोदया द्वारा अनुमोदित)



नोडल अधिकारी (डिप्टी कलेक्टर)
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी
जिला-कोरबा (छ.ग.)



जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसाइटी, कोरबा के लिए ट्रेनिंग पार्टनर / चैनल
पार्टनर के चयन हेतु आवेदन पत्र

सेक्टर / व्यवसाय का नाम चैनल / ट्रेनिंग पार्टनर बनने हेतु

1. संस्था का नाम (पूर्ण पता, दूरभाष, फ़ैक्स एवं Email सहित) :

.....

.....

2. संस्था नाम / वीटीपी नाम / पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक

.....

.....

.....

3. संस्था का कार्य क्षेत्र

.....

4. संस्था किन किन व्यवसायों में प्रशिक्षण के लिए पंजीकृत है

.....

कृपया उल्लेख करें

.....

5. संबन्धित कोर्स के लिए प्रशिक्षकों एवं अन्य मानव संसाधन के व्यवसायवार सूची एवं बायो डाटा संलग्न करें :

.....

6. व्यवसायवार उपलब्ध उपकरणों की सूची संलग्न करें

.....

7. विभिन्न व्यवसायों में संस्था का प्रशिक्षण

.....

(परिशिष्ट अ (I) अनुसार)

.....

8. पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या

.....


(परिशिष्ट अ (II) अनुसार)

.....

9. पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों के रोजगार / स्वरोजगार की जानकारी

(परिशिष्ट अ (III) अनुसार)

.....



10. संबन्धित कोर्स में हितग्राहियों के नियोजन की जानकारी
(परिशिष्ट अ (IV) अनुसार)
11. OJT हेतु टाई अप कंपनियों का विवरण
(परिशिष्ट अ (V) अनुसार)
12. संस्था का आडिट प्रतिवेदन (विगत 03 वर्षों का)
13. संस्था का TAN/PAN/GSTN प्रमाणित प्रति संलग्न करें
14. संस्था का विगत 03 वर्षों का आयकर विवरणी की प्रति संलग्न करें
15. सुरक्षा निधि की राशि हेतु बैंक ड्राफ्ट क्रमांक.....दिनांकबैंक का नाम
16. अन्य विवरण

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)


घोषणा पत्र

एतद्वारा संस्था यह घोषणा करती है की आवेदन पत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी सत्य है। चैनल पार्टनर / ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में चयन की स्थिति में संस्था समस्त निर्देशों का पालन करेगी

स्थान

दिनांक

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

The bottom section of the document contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a small circular stamp with a signature. In the center, there is a large, stylized signature. To the right of this, there is another signature. Further right, there is a signature that appears to be 'अमर' (Amar). At the bottom right, there is a rectangular stamp with the text '05/05/2020' and some other illegible text.

पूर्व मे प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या का विवरण

स्थान


दिनांक

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

3 માટે.

स्थान

दिनांक


 No. _____

अमरक

प्रस्तावित सेक्टर / जॉब रोल / कोर्स के नियोजन हेतु टाई-अप कंपनियों की जानकारी

स्थान

दिनांक

Dr. —

AS

अमोदः

प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के ऑन जॉब ट्रेनिंग हेतु टाई-अप कंपनियों की जानकारी

स्थान

दिनांक

अमोक्षः -

परिशिष्ट - 'ब'

प्रशिक्षण कार्य में नियोजित किए जाने वाले प्रशिक्षको की जानकारी

क्र	प्रशिक्षक का नाम	शैक्षणिक / व्यवसायिक योग्यता	सेक्टर / जॉब रोल / कोर्स का नाम	कार्यानुभव	ToT उत्तीर्ण तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7


प्रशिक्षण के संचालन हेतु अन्य मानव संसाधन (HR) की जानकारी

क्र	पदनाम	नाम	शैक्षणिक योग्यता	कार्यानुभव	रिमार्क

स्थान

दिनांक

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)



ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु स्कोर मेट्रिक्स

क्र	विवरण	स्कोर विभाजन	अधिकतम स्कोर	वांछनीय दस्तवेज
01	संस्था द्वारा पूर्व में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाय का अनुभव	03 वर्ष तक -5 03 वर्ष से अधिक 05 वर्ष से कम -8 05 वर्ष से अधिक -10	10	शासन द्वारा जारी कार्यदेश की प्रति
02	संबन्धित सेक्टर में पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या	<200 - 3 201-500 - 6 >500 -10	10	शासन द्वारा जारी कार्यदेश की प्रति
03	रोजगार एवं स्वरोजगार की स्थिति (% में)	20%-40% -3 41%-60% -5 61%-80% -8 >80% -10	10	सेक्टरवार / योजनावार / वित्तीय वर्ष वार नियोजित हितग्राहियों की संख्यात्मक जानकारी
04	Industrial linkage / रोजगार कंपनी से टाई - अप	<50 - 3 51-100 - 5 101-200 -10 201-300 -15 >300 -20	20	Attach Company wise list in participating sectors on Employers Letter head
05	ToT Certified Trainer	ट्रेनर का सर्टिफिकेट एवं बायोडाटा	20	Trainer bio data , Educational certificate & ToT certificate
06	ऑन जॉब ट्रेनिंग	कंपनी द्वारा अनुबंध	5	
07	संस्था का टर्न ओवर	<30 lacs - 3 31-50 lacs - 6 51-100 lacs -8 >100 lacs -10	10	विगत 03 लगातार वर्षों का वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें CA द्वारा Approved
08	प्रशिक्षण की कार्य योजना	प्रेजेंटेशन	15	PPT प्रेजेंटेशन
कुल अंक			100	

